हिंदू महासभा ने मनाया महात्मा गांधी की हत्या का जश्न, गोडसे को दिया सम्मान

मेरठ, 30 जनवरी (भाषा)।

अखिल भारत हिंदू महासभा ने गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी हत्या का जश्न मनाया और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को सम्मान देकर विवाद खड़ा कर दिया। हिंदू महासभा से कथित तौर पर जुड़े गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसे 1949 में अंबाला जेल में फांसी दे दी गई थी। अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य 'अमर शहीद नाथूराम गोडसे नाना आप्टे धाम' में एकत्र हुए और गोडसे के कार्यों को 'याद' किया। महासभा के वरिष्ठ नेता और नाना आप्टे धाम के संस्थापक पंडित अशोक शर्मा ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

समारोह में हवन और पूजा आदि की गई तथा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। समारोह का उद्देश्य कथित तौर पर दुनिया भर से गांधीवाद का सफाया करना था। शर्मा ने मांग की कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी की 'राष्ट्रपिता' की उपाधि को वापस ले। महासभा ने गांधी जी की हत्या से जुड़े नाथूराम गोडसे और नारायण नाना आप्टे के परिवारों को सम्मानित करने की योजना की भी घोषणा की।

काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब

वाराणसी, 30 जनवरी (जनसत्ता)।

महाकुंभ के पावन अवसर पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जनवरी माह में दर्शनार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और भक्तों को सुगम दर्शन की सुविधा देने के लिए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर प्रशासन ने गुरुवार को बताया कि आंकड़ों के अनुसार, जनवरी के पहले सप्ताह से ही श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

कार और रोडवेज बस में टक्कर, तीन लोगों की मौत

प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करके वापस लौट रहे थे श्रद्धालु

जौनपुर, 30 जनवरी (भाषा)।

जौनपुर जिले के मुंगराबादशाहपुर क्षेत्र में गुरुवार को तड़के प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की कार और एक रोडवेज बस के बीच आमने-सामने की टक्कर होने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक डाक्टर कौस्तुभ ने बताया कि महराजगंज जिले के समदेऊआ थाना क्षेत्र में स्थित धनहानायक गांव के निवासी संजय सिंह (45), उनकी पत्नी विद्यावती (43), महेश तिवारी (52) और उनकी पत्नी किरण देवी (47) गोरखपुर जिले के खोरावर गांव निवासी बिंदु सिंह (40) और गोरखपुर के ही झगहा गांव निवासी विमला देवी (50) प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर कार से अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी कार जौनपुर-रायबरेली राजमार्ग पर सतहरिया पुलिस चौकी के पास पहुंची, तभी सामने से तेज गति से आ रही एक रोडवेज बस से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची चौकी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना में संजय सिंह, बिंदु सिंह और विमला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महेश तिवारी, विद्यावती सिंह तथा किरन देवी तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इन सभी को सतहरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत देख चिकित्सक ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। बस पर कोई भी यात्री सवार नहीं था।

ट्रक और डंपर आपस में भिड़े तीन की गई जान

फर्रुखाबाद, 30 जनवरी (भाषा)।

फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गुरुवार को गैस सिलेंडर लदे ट्रक और सामने से आ रहे डंपर की जबरदस्त टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई तथा चार अन्य घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के कुम्हौली गांव के पास सुबह लगभग सात बजे गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक और बोहोरिकपुर की तरफ से आ रहे डंपर की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। उन्होंने बताया कि इस भीषण टक्कर में ट्रक चालक अभिमन्यु (42) डंपर चालक राहुल (40) और रामकिशोर (55) नामक एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई।

प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में कुर्की आदेश बरकरार रखा

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा)।

बेनामी संपत्ति रोधी कानून संबंधी निर्णायक प्राधिकरण ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी संपत्ति कुर्की आदेश को बरकरार रखा है। अंसारी की मार्च 2024 में बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। लखनऊ के डालीबाग इलाके में स्थित 3,234 वर्ग फुट की इस संपत्ति की कीमत 1.05 करोड़ रुपए है।

इसे बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध (पीबीपीटी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिसंबर, 2023 में कर विभाग की लखनऊ बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) ने अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, no 15429265m Gohil Ajitsinh Dhirubhai, Vil/Post-Sanakhada, Distt: junagadh, Gj-362550, here by declare that my daughter's name was wrongly entered in my service docus as khushaliba instead of Gohil khushaliba Ajitsinh vide Affidavit dt 25/01/2025 Notary at Lucknow In -up 65753158574547x

0040771530-1

I, no 15429265m Gohil Ajitsinh Dhirubhai, Vil/Post-Sanakhada, Distt : junagadh, Gj-362550, here by declare that my son's name was wrongly entered in my service docus as Tarunsinh instead of Gohil Tarunsinh Ajitsinh vide Affidavit dt 25/01/2025 Notary at Lucknow In up65750094523076x

0040771528-1

I, Madhulika Sharma W/o No. 733013N Sgt. Brijesh Kumar Sharma (Retd) R/o Mohalla Kailash Nagar, Nai Basti Baksipura Post and Distt. Bahraich PIN 271801 have changed my Date of Birth from 03.03.1974 to 08.03.1976 vide affidavit dated 30.01.2025 at kachehari, Bahraich

0060123863-1

I, Himanshu Singh S/o Shivtosh Singh R/o Pratappur, Basti Chak Gulara, Azamgarh, Pawai, Uttar Pradesh- 276288, have changed my name to Yatharth Shekhar Singh

0050259403-1

I HAOBIJAM BIJAYA DEVI W/O ARMY NO.4374518A HAV MAISNAM JAMES SINGH R/O VILL-AWANG POTSANGBAM KHULLEN POTSANGBAM KHOIRU PO-AWANG SEKMAI PS-AWANG SEKMAI TEH-LAMSANG DIST-IMPHAL WEST STATE-MANIPUR PIN-795136 .I HAVE CHANGED MY NAME HAOBIJAM BIJAYA DEVI TO MAISNAM BIJAYA DEVI IN MY HUSBAND SERVICE RECORD.IN FUTURE MY NAME KNOWN AS MAISNAM BIJAYA DEVI.

0060123866-1

I , Lakhan Lal Barman alias Lakhan Lal Berman S/o Mangal Singh Barman R/o 16A/82,Vrindavan Colony, Raebareli Road, Lucknow,Uttar Pradesh - 226029, have changed my name to Lakhan Titus Barman

0050259401-1

Be it known to all that after marriage I have changed my name from NITU KUMARI to NITU DEEP GUPTA. In future I shall be known as NITU DEEP GUPTA, W/o Dipak Kumar, R/o M-1775, Sector-I, Ashiyana Colony, LDA Colony, Lucknow-226012 0060123863-2

व्यक्तिगत

मैं, मालाकोन्डैया एन पुत्र नरसैय्या पिता आर्मी नं.-15704793K लांसनायक माधवा नेलाकुर्थी निवासी-ग्राम-दारसी, पोस्ट-दारसी, जिला-प्रकासम, राज्य-आन्ध्र प्रदेश, पिन-523247, दिनांक-27.01.2025 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथपत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम मालाकोन्डैया एन से बदलवाकर नेलाकुर्थी मालाकोन्डैया करवा दिया हूँ।

व्यक्तिगत

मैं, इन्दिरम्मा एन पत्नी नेलाकुर्थी मालाकोन्डैया माता आर्मी नं.-15704793K लांसनायक माधवा नेलाकुर्थी निवासी-ग्राम-दारसी, पोस्ट-दारसी, जिला-प्रकासम, राज्य-आन्ध्र प्रदेश, पिन-523247, दिनांक-27.01.2025 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथपत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम इन्दिरम्मा एन से बदलवाकर नेलाकुर्थी इन्द्रम्मा करवा दी हूँ।

सूचना

मैं सत्यवीर, उम्र लगभग 28 वर्ष, पुत्र श्री जागन लाल, निवासी आदिल नगर, बघुरा, मिलक, रामपुर, उत्तर प्रदेश 243701, का शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि-

आवेदक अपना पुराना नाम सत्यवीर बदलकर नया नाम सत्यवीर सिंह रखना चाहता है, क्योंकि जब भी आवेदक कोई फॉर्म भरता है, तो उसे अपना पहला नाम और अंतिम नाम चाहिए होता है। चूंकि आवेदक एक शोधकर्ता है, इसलिए उनके शोध अध्ययनों को प्रकाशन के बाद वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से उद्धरण नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मध्य नाम और अंतिम नाम नहीं होता है। इसलिए, आवेदक अपने आगामी शोध पत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए विशेष रूप से नया नाम सत्यवीर सिंह इस्तेमाल करने का अनुरोध करता है। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में नौकरी के आवेदन भरते समय, रोजगार प्राप्त करते समय या दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई भ्रम न हो और नया नाम वैध माना जाए।

Chola Enter a better life

चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 'चोल क्रेस्ट' सुपर बी, सी54 और सी 55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के प्रावधानों के तहत

अधिनियम के तहत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों से संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने को कहा गया। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि कर्जदार मांग नोटिस की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार चिपकाने और प्रकाशन से नोटिस की सेवा प्रभावित हो रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे उद्धृत की गई है

कर्जदार/रों का नाम तथा पता	ऋण राशि	माँग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि	सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण
लैनः LAP4JHA000122806 1. श्री/श्रीमती राम पाल साहू (उर्फ) राम साहू 2. श्री/श्रीमती ज्योति राम 3. श्री/श्रीमती कृष्णन साहू 4. स्वर्गीय श्रीमती विमला काली के अज्ञात कानूनी उत्तराधिकारी सभी विजयगढ़ समथर, झाँसी, उत्तर प्रदेश-284304 के निवासी; इसके अलावा मकान नंबर 928, मोहल्ला विजय गढ़, जीआईसी रोड, मौजा समथर, मोठ, पिपरी बस स्टैंड, झांसी, उत्तर प्रदेश-284 304।	₹ 22,00,000/-	29.01.2025 रु. 23.67.706/- (रुपये तेईस लाख सड़सठ हजार सात सौ छः मात्र) तिथि 18.01.2025 तक	आवासीय मकान का पूरा भाग, कुल क्षेत्रफल 1596 वर्ग फुट, प्लॉट संख्या 928, कस्बा समथर, मोहल्ला विजयगढ़, परगना मोठ, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश-284304 पर स्थित है और 4 सीमाएं हैं- पूर्वः अनुराधा साहू का मकान; पश्चिमः साहिद खान का मकान; उत्तरः 31 फुट चौड़ी सड़कः दक्षिणः अन्य का प्लॉट।

यह नोटिस हमारे पिछले नोटिस दिनांक 18.12.2024 और 28.01.2025 के स्थान पर भेजा गया है। कृपया सूचित हो कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी किया गया पिछला नोटिस दिनांक 18.12.2024 और 28.01.2025 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

कर्जदारों को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक के खर्चों के साथ करें। कर्जदार ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा अचल संपत्ति के विरुद्ध एक प्रतिभूत ऋण है। संपत्तियां कर्जदार द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूत संपत्ति हैं। यदि कर्जदार निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूत परिसंपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित करना या अधिनियम और इसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रतिभूत ऋणदाता को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को प्रवर्तित करने से पहले प्रतिभूत परिसंपत्तियों को कुर्क करने या सील करने का भी अधिकार है। प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य प्रतिभूत ऋणदाता को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है तो प्रतिभूत ऋणदाता को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत प्रतिभूत ऋणदाता के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

कर्जदार(रों) का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) की ओर और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत कर्जदार(रों) को प्रतिभूति ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका जाता है/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता/-

स्थान : झांसी, उत्तर प्रदेश — अधिकृत प्राधिकारी

तिथि : 29.01.2025 — कृते चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015

ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

द्वितीय तल, डी-59/103, डी-4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी-221010

आरएलएम-ब्रजेश अवस्थी-9918301885, आरआरएम-पुष्कर अवस्थी 9453043399, सीएलएम-अक्षय सावला-9515683404, सीआरएम-शशांक सिंह, 9565389173

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एनपीए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई/जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशि 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों/जमानतदारों के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना/ई-नीलामी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के नाम और एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
1	श्री शिव कुमार और श्रीमती फुलम देवी, दोनोंः मकान नं. 5/तुला राम बाग पुराना बैरनाना आह, पानी की टंकी के पास, सेमीअर्बन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211003 खाता नं. UP/ABD/GRPR/A000000085 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 06-01-2025	मांग सूचना की तारीख 27-01-2025 बकाया राशि ₹ 6,17,822/- दिनांक 27.01.2025 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	एक आवासीय प्लॉट मकान, आराजी सं.653/1 का भाग क्षेत्रफल 60.66 वर्ग मी., मौजा बमरौली परगना एवं तहसील-सदर, प्रयागराज - 211003, चौहद्दी: पूरब में - 20 फीट रास्ता, पश्चिम में - बेची गई आराजी का भाग, उत्तर में - अनीता देवी का प्लॉट, दक्षिण में - बेची गई आराजी का भाग
2	श्री गोविंद नारायण मिश्रा और श्रीमती वंदना कुमारी, दोनोंः मकान नं. 441, वार्ड नं. 08, हाजी टोला शंकरगढ़ ताला, मदरसा के सामने, ग्रामीण, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 212108 खाता नं. UP/ABD/HNDA/A000000183 & UP/ABD/PYGJ/A000000020 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 06-01-2025	मांग सूचना की तारीख 27-01-2025 बकाया राशि ₹ 27,79,442/- दिनांक 27.01.2025 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	एक आवासीय प्लॉट मकान नं. 441, वार्ड नं. 08, हाजी टोला शंकरगढ़ ताला, नगर पंचायत शंकरगढ़ आराजी सं. 204मी के भाग पर निर्मित, मौजा शंकरगढ़ (नगर), परगना-आइल, तहसील-बारा, प्रयागराज - 212108, चौहद्दी: पूरब में - विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम में - उमेश मिश्रा की भूमि, उत्तर में - 25 फीट रोड, दक्षिण में - विक्रेता की शेष भूमि
3	श्री मुस्तकीम शाह और श्रीमती शबीना बेगम, दोनोंः मकान नं. 231आर/1, करेलाबाग, अबुबकर मस्जिद के पास, शहरी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211016 खाता नं. UP/ABD/HNDA/A000000211 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 06-01-2025	मांग सूचना की तारीख 27-01-2025 बकाया राशि ₹ 25,67,362/- दिनांक 27.01.2025 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	एक आवासीय प्लॉट मकान नं. 231ए/1, आराजी संख्या 145/मि का हिस्सा, क्षेत्रफल 54 वर्ग मी., मौजा करीलबाग परगना और तहसील सदर, प्रयागराज - 211016, चौहद्दी: पूरब में - 12 फीट रोड, पश्चिम में - हाजी जी का मकान, उत्तर में - 60 फीट रोड, दक्षिण में - मोहम्मद जावेद का मकान
4	श्री तस्लीम फातिमा और श्री अब्दुल रहीम, दोनोंः मकान नं. 72/59, मंसूर पार्क के पास, मैदान टोला, दरियाबाद, ग्रामीण, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211003 खाता नं. UP/ABD/PLPR/A000000059 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 06-01-2025	मांग सूचना की तारीख 27-01-2025 बकाया राशि ₹ 17,46,451/- दिनांक 27.01.2025 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	एक आवासीय मकान, आराजी सं. 857 का भाग, क्षेत्रफल 105.18 वर्ग मी., मौजा शाह उर्फ पीपलगांव, परगना, तहसील सदर और जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211003, चौहद्दी: पूरब में - आराजी का शेष भाग, पश्चिम में - कमाल अहमद का मकान, उत्तर में - 18 फीट रोड, दक्षिण में - अन्य प्लॉट
5	श्री अनिल कुमार यादव एवं श्रीमती कीर्ति यादव, दोनोंः मकान नं. 22/10, कटघर, कल्लू कचौरी के पास, शहरी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211003 खाता नं. UP/ABD/PLPR/A000000207 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 06-01-2025	मांग सूचना की तारीख 27-01-2025 बकाया राशि ₹ 11,16,986/- दिनांक 27.01.2025 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	एक आवासीय प्लॉट नं. 69 और 70, आराजी सं. 85 का भाग, क्षेत्रफल 232.34 वर्ग मी., मौजा उमापुर, परगना और तहसील बारा और जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211003, चौहद्दी: पूरब में - सुधीर यादव का प्लॉट, पश्चिम में - 24 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर में - बिकी आराजी का भाग, दक्षिण में - सुधीर यादव का प्लॉट
6	श्री मुस्तकीम शाह और श्रीमती शबीना बेगम, दोनोंः मकान नं. 160/387/1, दरियाबाद, जोगी घाट के पास, सेमीअर्बन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211003 खाता नं. UP/ABD/PLPR/A000000302 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 06-01-2025	मांग सूचना की तारीख 27-01-2025 बकाया राशि ₹ 20,60,513/- दिनांक 27.01.2025 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	एक आवासीय मकान नं. 18E/14E/R/G-2 क्षेत्रफल 106.6 वर्ग मी. जोकि मौजा करामत की चौकी, परगना और तहसील सदर और जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211003, चौहद्दी: पूरब में - शारिक का मकान, पश्चिम में - विक्रेता का प्लॉट, उत्तर में - यासीन का मकान, दक्षिण में - 25 फीट रोड
7	श्री गोपाल गिरि, श्रीमती रीता देवी, श्री गोविंद गिरि और श्री अकबाल गिरि, सभीः कोरौता उत्तगांव, हनुमान मंदिर, सेमीअर्बन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221107 खाता नं. UP/KNP/VRSI/A000000620 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 06-01-2025	मांग सूचना की तारीख 27-01-2025 बकाया राशि ₹ 10,19,997/- दिनांक 27.01.2025 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	एक आवासीय प्लॉट नं. 421, क्षेत्रफल 1103 वर्ग फीट, जोकि मौजा कोरौता, परगना कसवार राजा, तहसील राजातालाब और जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221107 में स्थित, चौहद्दी: पूरब में - अकबाल गिरी का मकान, पश्चिम में - राज किशोर की भूमि, उत्तर में - 8 फीट चौड़ी भूमि, दक्षिण में -शोभनाथ गिरी का मकान

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 30.01.2025, स्थान : वाराणसी — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

कार्यालय ग्राम पंचायत हिसमहा, वि.खं. ददरौल, शाहजहांपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु आर.आर.सी. सेन्टर, सोक पिट, फिल्टर चेम्बर, लीच पिट, कम्पोस्ट पिट, नाली आदि का निर्माण कार्य कराये जाने हैं एवं कचरा वाहन, ई रिक्शा, कूड़ादान एवं अन्य आवश्यक मशीनें/सामग्री खरीद की जानी हैं। उपरोक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, सरिया, महीन रेता, मौरंग, बजरी, ईंट, रोड़ी, सीमेन्ट पाइप, पीवीसी पाइप टाइल्स, इन्टरलोकिंग ईंट, सेनेटरी सामान, आयरन एंगल, टिन की नालीदार चादर, लोहे की जाली, सीमेन्ट की जाली, ह्यूम पाइप आदि सामग्री क्रय की जानी है। इच्छुक समस्त आपूर्तिकर्ता फर्मों/ ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा दिनांक 02.02.2025 को दोपहर 2 बजे तक कुटेशन/निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। समस्त निविदायें दिनांक 03.02.2025 को 12 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जायेंगी। निविदा स्वीकृत/ निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

निर्मला देवी, ग्राम प्रधान — अईनुद्दीन, सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत ढकिया परवेजपुर, वि.खं. ददरौल, शाहजहांपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु आर.आर.सी. सेन्टर, सोक पिट, फिल्टर चेम्बर, लीच पिट, कम्पोस्ट पिट, नाली आदि का निर्माण कार्य कराये जाने हैं एवं कचरा वाहन, ई रिक्शा, कूड़ादान एवं अन्य आवश्यक मशीनें/सामग्री खरीद की जानी हैं। उपरोक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, सरिया, महीन रेता, मौरंग, बजरी, ईंट, रोड़ी, सीमेन्ट पाइप, पीवीसी पाइप टाइल्स, इन्टरलोकिंग ईंट, सेनेटरी सामान, आयरन एंगल, टिन की नालीदार चादर, लोहे की जाली, सीमेन्ट की जाली, ह्यूम पाइप आदि सामग्री क्रय की जानी है। इच्छुक समस्त आपूर्तिकर्ता फर्मों/ ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा दिनांक 02.02.2025 को दोपहर 2 बजे तक कुटेशन/निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। समस्त निविदायें दिनांक 03.02.2025 को 12 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जायेंगी। निविदा स्वीकृत/ निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

सुभासा देवी, ग्राम प्रधान — अईनुद्दीन, सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत कल्यानपुर ता. चमरौरा, वि.खं. ददरौल, शाहजहांपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु आर.आर.सी. सेन्टर, सोक पिट, फिल्टर चेम्बर, लीच पिट, कम्पोस्ट पिट, नाली आदि का निर्माण कार्य कराये जाने हैं एवं कचरा वाहन, ई रिक्शा, कूड़ादान एवं अन्य आवश्यक मशीनें/सामग्री खरीद की जानी हैं। उपरोक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, सरिया, महीन रेता, मौरंग, बजरी, ईंट, रोड़ी, सीमेन्ट पाइप, पीवीसी पाइप टाइल्स, इन्टरलोकिंग ईंट, सेनेटरी सामान, आयरन एंगल, टिन की नालीदार चादर, लोहे की जाली, सीमेन्ट की जाली, ह्यूम पाइप आदि सामग्री क्रय की जानी है। इच्छुक समस्त आपूर्तिकर्ता फर्मों/ ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा दिनांक 02.02.2025 को दोपहर 2 बजे तक कुटेशन/निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। समस्त निविदायें दिनांक 03.02.2025 को 12 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जायेंगी। निविदा स्वीकृत/ निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

राजेश सिंह, ग्राम प्रधान — अईनुद्दीन, सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत परवेजपुर, वि.खं. ददरौल, शाहजहांपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु आर.आर.सी. सेन्टर, सोक पिट, फिल्टर चेम्बर, लीच पिट, कम्पोस्ट पिट, नाली आदि का निर्माण कार्य कराये जाने हैं एवं कचरा वाहन, ई रिक्शा, कूड़ादान एवं अन्य आवश्यक मशीनें/सामग्री खरीद की जानी हैं। उपरोक्त कार्य हेतु सीमेन्ट, सरिया, महीन रेता, मौरंग, बजरी, ईंट, रोड़ी, सीमेन्ट पाइप, पीवीसी पाइप टाइल्स, इन्टरलोकिंग ईंट, सेनेटरी सामान, आयरन एंगल, टिन की नालीदार चादर, लोहे की जाली, सीमेन्ट की जाली, ह्यूम पाइप आदि सामग्री क्रय की जानी है। इच्छुक समस्त आपूर्तिकर्ता फर्मों/ ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा दिनांक 02.02.2025 को दोपहर 2 बजे तक कुटेशन/निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। समस्त निविदायें दिनांक 03.02.2025 को 12 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जायेंगी। निविदा स्वीकृत/ निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

उर्मिला देवी, ग्राम प्रधान — अईनुद्दीन, सचिव

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

परिसम्पत्तियों की ऑनलाइन ई-नीलामी

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051

शाखा कार्यालयः कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, 5वां तल, एडामस प्लाजा 166/16, सीएसटी रोड, कलीना, सांताक्रूज ईस्ट, ईस्ट, मुम्बई-400098, महाराष्ट्र

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(5) के प्रावधानों के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

''फ्यूलर्टन इंडिया होम फाइनांस कम्पनी लिमिटेड'' (यहां के बाद ''एफआईएचएफसीएल'' वर्णित) द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के एसाइनमेन्ट के अनुपालन में कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड यहां के बाद/केएमबीएल/प्रतिभूत क्रेडीटर'' वर्णित) ने 28.08.2024 को प्रतिभूत क्रेडीटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यहां के बाद प्रतिभूत परिसम्पत्ति वर्णित) का भौतिक कब्जा कर लिया है। एतद्द्वारा ऋणधारकों तथा विशेष रूप से सह-ऋणधारकों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार श्री जहीर अब्बास एवं श्रीमती फरजाना अब्बास द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा के संदर्भ में ऋण खाता सं. 610607510549084 के अंतर्गत उसकी वसूली तक आगे के लागू ब्याज के साथ 29.01.2025 को देय रु. 32,22,388/- (रु. बत्तीस लाख बाईस हजार तीन सौ अठासी मात्र) की वसूली के लिये बैंक ने ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ई-नीलामी द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है।

विवरण	विवरण
नीलामी की तिथि	20.02.2025
नीलामी का समय	5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 12 बजे अप. से 1.00 बजे अप. के बीच
आरक्षित मूल्य	रु. 17,00,000/- (रु. सत्तरह लाख मात्र)
धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	रु. 1,70,000/- (रु. एक लाख सत्तर हजार मात्र)
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	19.02.2025 के 6.00 बजे अप. (आईएसटी) तक
प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	बरौड़ा हुसैन बाड़ी, वार्ड-कहैन्या माधवपुर, लखनऊ में स्थित खसरा नं. 734, 737, 730, 740, 741, 743 के भाग में प्लॉट नं. 23, माप 680 वर्ग फीट अर्थात् 63.174 वर्ग मी. मात्र के भाग पर निर्मित मकान का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 23 भाग, पश्चिमः मकान सं. 23ए, उत्तरः 15 फीट चौड़ा रोड़, दक्षिणः मकान सं. 15
ज्ञात अधिभार	निल

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक कृपया ध्यान रखें कि यदि किसी भी कारण से नीलामी कार्यक्रम विफल होता है तो प्रतिभूत क्रेडीटर निजी संधि के माध्यम से बिक्री द्वारा प्रतिभूति हित को प्रवर्तित करेंगे। बिक्री के अधीन परिसम्पत्तियों से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण / अपेक्षा के लिये बोलीदाता श्री श्रेष्ठ शुक्ला (मो. नं. +919307071107) एवं श्री सोमेश सुन्द्रियाल मो. नं. +91 7078699330 से सम्पर्क कर सकते है। साथ हीं बोली दाता बैंक के आईवीआर नं. (+91-9152219751) से स्पष्टीकरणों के लिये सम्पर्क कर सकते है। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया बैंक की वेबसाईट अर्थात् www.kotak.com में दी गई लिंक https://www.kotak.com/en/bankauction.html अथवा http://bankauction.in/ देखें।

स्थानः लखनऊ — कृत्ते, कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

तिथिः 31.01.2025 — प्राधिकृत अधिकारी

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

Aavas — SAPNE AAPKE SAATH HAMAARA

निविदा सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्त व नियम 8 (6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की नीलामी विक्रय सूचना

आमजन तथा एवं व्यक्ति विशेष देनदारों तथा जमानती को सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लेखित प्रत्याभूत ऋणदाता की गिरवी / प्रभारित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, प्रत्याभूत ऋणदाता "जैसे है जहाँ है" जो भी और जैसा भी है के आधार पर विक्रय करने जा रहे हैं। प्रकरणों का विशेष विवरण इस प्रकार हैं-

ऋणी/सह-ऋणी/जमानती/बंधककर्ता का नाम	बकाया राशि दिनांक	13(2) डिमांड नोटिस की राशि व दिनांक	कब्जे की दिनांक	संपत्ति का विवरण (प्रतिभूति आस्ति)	संपत्ति का आरक्षित मूल्य	संपत्ति की धरोहर राशि	निविदा खोले जाने की तिथि व समय	निविदा खोलने, जमा कराने व नीलामी का स्थान आवास फाईनेंसियर्स लि.
दीप्ति शर्मा, वैभव भारद्वाज खाता सं. : LNRSH02919-200129093 व LNRSH11721-220180979	₹ 10,97,658.00/- व ₹ 2,10,457.00/- बकाया दिनांक 22 जनवरी 2025	14 अक्टूबर 2023 ₹ 866704/- व ₹ 125649/- बकाया दिनांक 5 अक्टूबर 2023	6 जुन 2024	ए 2बीएचके आवासीय फ्लेट, फ्लेट नं. 2, पहली मंजिल पर (बिना छत अधिकार के) खाता नं. 694 खसरा नं. 691 मिन में स्थित, हरिपुरकलां, तहसील-ऋषिकेश, जिला-देहरादून 249205 क्षेत्रफल 37.67 वर्ग मीटर	₹ 961571.7/-	₹ 96157/-	प्रात:11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 04 मार्च 2025	तीसरी मंजिल, सिटी सेन्टर, देहरादून रोड़, ऋषिकेश-249201, उत्तराखंड -भारत
बिजो देवी, श्रीमती बबीता देवी, श्री हिमांशु खाता सं. : LNDHR00320-210156163	₹ 32,95,255.00/- बकाया दिनांक 22 जनवरी 2025	24 जुन 2021 ₹ 1655317/- बकाया दिनांक 22 जुन 2021	26 जुलाई 2022	आवासीय सम्पत्ति खाता नं. 131, खसरा नं. 941, मौजा डाकपत्थर में स्थित, परगना, पछवा दून, तहसील-विकास नगर, जिला-देहरादून, उत्तराखंड क्षेत्रफल 150.55 वर्ग मीटर	₹ 1609632/-	₹ 160963/-	प्रात:11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 04 मार्च 2025	पहली मंजिल, ओपिर कॉम्पलेक्स, बीओबी के ऊपर, नेहरू एनक्लेव, वाडिया इंस्टीट्यूट के पास, जीएमएस रोड, देहरादून 248001, उत्तराखंड -भारत

निविदा की शर्तें : 1. निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा शाखा में उपलब्ध निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि के चैक/बैंकर्स चैक/मांग ड्राफ्ट जो कि प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय हो, नीलामी से पहले कार्य दिवस के दौरान आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के उपरोक्त पते पर जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाएं आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। 2. सफल निविदाकर्ता को 25 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा तथा शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना बैंक में जब्त समझी जायेगी। 3. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या निविदा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा जमा कराने व निविदा खोलने वाली दिनांक को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस वाले दिन होगी। 4. सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड 201-202, दूसरी मंजिल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020 मनोज कुमार - 8130291423 नोटः- यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 9 (1)/8(6) के अधीन 15/30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा कि यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर ही विक्रय की जाएगी।

स्थान : जयपुर — दिनांक: 31.01.2025 — प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड

www.readwhere.com